काष्ठ शिल्प
कक्षा–12 पूर्णांक – 100

कोविड–19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र–2021–22 में समय से विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी हैः–

इकाई–एक

1. **सहयोग देने वाले यंत्र–** पिन बोर्ड, शूटिंग बोर्ड, बेन्च स्टापर, कार्क रबर।
2. **सफाई करने वाले यंत्र–** पुराने यंत्रों की मरम्मत, पत्थर के पहिया का प्रयोग।

इकाई–दो

1. **काष्ठशिल्प में प्रयोग होने वाली मशीने–** खराद मशीन।
2. **धातु वस्तुएँ–** चटखनी, इमालिया–कुण्डा, स्टे, कास्टर्स, बाल कैच तथा मिरर क्लिप।

इकाई–चार

1. लकड़ी तथा लट्ठे का मूल्य ज्ञात करना।

इकाई–पाँच

2. **लकड़ी के जोड़–** बनाने की विधि एवं उचित स्थानों पर उनका प्रयोग।

इकाई–छः

2. समलेखीय प्रक्षेप चित्र बनाना।

इकाई–सात

1. **रेखा चित्र–** रेखा चित्र के यंत्र तथा रेखा चित्र में प्रयोग होने वाली रेखाएँ।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है–

काष्ठ शिल्प
कक्षा–12
केवल प्रश्नपत्र पूर्णांक – 70

लिखित परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र 70 अंक का तीन घंटे का होगा। इसके अतिरिक्त 30 अंकों की एक प्रयोगात्मक परीक्षा जिसमें मौखिक परीक्षा भी सम्मिलित है, होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 4 घण्टे से अधिक न होगी। उत्तीर्ण होने के लिये लिखित और प्रयोगात्मक में कम से कम क्रमशः 23+10 33 अंक आने चाहिये।

इकाई–एक **10 अंक**

1. **सहयोग देने वाले यंत्र–** इसके अन्तर्गत बेन्च हुक, माइटर बोर्ड, डावेल प्लेट, आदि का ज्ञान।
2. **सफाई करने वाले यंत्र–** इसके अन्तर्गत स्क्रेपर तथा रेगमाल का ज्ञान।
3. विभिन्न प्रकार के यंत्रों को तेज करना। ऑयल स्टोन, एमरी पहिया का प्रयोग

इकाई–दो **10 अंक**

1. **काष्ठशिल्प में प्रयोग होने वाली मशीने–** जैसेः– बैण्ड सा, सर्कुलर सा, आदि।
2. **धातु वस्तुएँ–** इसके अन्तर्गत कील, पेंच, कब्जे, ताले, नट–बोल्ट, हत्था तथा मूँठ, हुक तथा आई,, डोर बोल्ट, बाल कैच ।

इकाई–तीन **10 अंक**

1. **काष्ठशिल्प में प्रयोग होने वाली लकड़ियाँ–** जैसेः– लकड़ी के प्रकार, उनकी बनावट, रंग, प्राप्ति का स्थान, वजन प्रति घनफिट तथा प्रयोग। लकड़ियाँ जैसेः– आम, शीशम, सागौन, देवदार, साखू, चीड़, नीम, महुआ, तुन, इबोनी, रोज वुड, ओक, अखरोट, विजयसाल, बबूल, बीच वुड, सेमल आदि।
2. **प्लाई वुड–** प्रकार, बनाने की विधि तथा उपयोगिता।

इकाई–चार **10 अंक**

2. घरेलू सामग्रियों की मानक माप। जैसे– सन्दूक, आलमारी, कुर्सी, मेज, स्टूल, चारपाई, तख्त, सेन्टर टेबुल आदि।

इकाई–पाँच **10 अंक**

1. **लकड़ी सुखाना–** परिभाषा, प्रकार तथा उनका वर्णन।

2. **लकड़ी के जोड़–** जोड़ के प्रकार, नाप, उपयोगिता, ।

इकाई–छः **10 अंक**

1. रुढ़ सममापीय या प्रामाणिक सममापीय प्रक्षेप चित्र बनाना।
3. मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाना।

इकाई–सात **10 अंक**

2. हिन्दी तथा अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों को ग्राफ द्वारा लिखने का ज्ञान तथा अक्षर लेखन का महत्व।
3. पॉलिश, वार्निश तथा पेन्ट तैयार करने व प्रयोग करने का ज्ञान। स्टेनिंग, रेशे भरना तथा फ्यूमिंग का ज्ञान।

प्रयोगात्मक कार्य

1. नमूने (MODELS) की बनावट, लकड़ी से लेकर पॉलिश, वार्निश तथा पेन्ट तक की पूरी होनी चाहिए।
2. नमूने इस प्रकार के बनवाये जांय जिसके आवश्यक जोड़ तथा मेटल फिटिंग्स का प्रयोग हो।
3. छात्रों को विभिन्न प्रकार के नमूनों के नाप व आकार स्वयं निर्धारित करना चाहिए।
4. प्रयोगात्मक परीक्षा में वाल ब्रकेट, लेटर रैक, लैम्प स्टैण्ड, विभिन्न प्रकार के ट्रे, मोमबत्ती स्टैण्ड, टावेल रोलर, बुक रैक, खूँटियाँ तथा फ्लावर पॉट स्टैण्ड बनवाये जांय।

प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नवत् होगा–

अधिकतम् अंक–30 **न्यूनतम उत्तीर्णांक–10** **समय – 06 घण्टे**

(अ) बाह्य परीक्षक द्वारा देय अंक–15

1. मॉडल की तैयारी, सही बनाने की विधि	03 अंक
2. सही जोड़	03 अंक
3. मॉडल की सही रूप रेखा	03 अंक
4. चिप कार्विंग	03 अंक
5. मौखिक	03 अंक
(ब) आन्तरिक मूल्यांकन–	15 अंक
1. प्रोजेक्ट कार्य	06 अंक
2. रिपोर्ट तैयार करना	05 अंक
3. सत्रीय कार्य एवं सतत् मूल्यांकन	04 अंक

नोट– विषय अध्यापक प्रत्येक छात्र के कार्यों की एक रिपोर्ट तैयार करके वाह्य प्रयोगात्मक परीक्षक के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें।

पुस्तकें– कोई पुस्तक निर्धारित व संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रमानुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायेंगे, उन विद्यालयों के संबंधित विषयों के अध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा आन्तरिक परीक्षक के रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को पचास प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे। शेष पचास अंक वाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे।